रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एच० 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 13 सितम्बर, 1980/22 भाद्रपद, 1902

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन खेती एवं परिवेश संरक्षण विभाग

आदेश

शिमला-171002, 27 अगस्त, 1980

संख्या 15-4/71-एस0एफ0-2.—जबकि, राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश भू-संरक्षण अधिनियम, 1978 की धारा 7 के अन्तर्गत उचित जांच पड़ताल के पश्चात् सन्तुष्ट है कि इस आदेश में अन्तर्विष्ट विनियम, निर्वन्धन, प्रतिषेध या निदेश इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य हेतु आवश्यक हैं।

2. अतः अब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-संरक्षण अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम संख्यांक 28) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (नगर निगम या नगरपालिका, अन्य स्थानीय निकायों के क्षेत्रों और ऐसी स्थानीय निकायों की परिधि में आने वाले क्षेत्रों को छोड़ कर) उन समस्त क्षेत्रों में जो हिमाचल प्रदेश सरकार की सम संख्यांक अधिसूचना दिनांक 3-2-1979 से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, चम्बा जिले मे निम्न दर्शाये गए ढंग से इस आदेश के हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 30 वर्षों की अवधि हेतु निम्न कार्य हेतु अस्थाई रूप से विनियमन निर्बन्धित और प्रतिविद्ध करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(1) ऐसे क्षेत्रों से वृक्षों या इमारती लकड़ी का काटना और उनका हटाया जाना प्रतिविद्ध होगा :

परन्तु वन उत्पाद के सद्भाविक घरेलु उद्देश्यों हेतु ईन्धन और चारे पर कोई निर्वन्धन नहीं होगा :

परन्तु और यह कि स्वामी अपने सद्भाविक घरेलु तथा खेती सम्बन्धी प्रयोग के लिए प्रत्येक वर्ष पांच

वृक्ष बिना किसी की आज्ञा के, दस वृक्षों तक सम्बन्धित परिक्षेत्राधिकारी की लिखित आज्ञा से तथा दस वृक्षों से अधिक सम्बन्धित वन मण्डलाधिकारी की लिखित आज्ञा से काट सकता है :

परन्तु और यह कि विक्रय हेतु वृक्षों का कटान 10 वर्षीय कटान कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा, जो कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बनाया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया जायेगा कि प्रत्येक वर्ष इमारती लकड़ी तथा अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किये जाने वाले 50 वृक्ष तक का गिरान सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी, 100 वृक्षों तक का गिरान अरण्यपाल, 200 वृक्षों तक का गिरान मुख्य अरण्यपाल तथा 200 वृक्षों से अधिक का गिरान राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा तथा अन्य वृक्षों के लिए 10 वर्षीय गिरान कार्यक्रम के अनुसार वन मण्डल अधिकारी अनुमति देगा :

आगे यह भी उपबन्धित है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह घरेलु या खेती के कार्यों के लिए अथवा विक्रय हेतु वृक्ष गिराता है तो उसे एक वृक्ष गिराने पर कम से कम 3 वृक्ष रोपित करने होंगे । यदि ऐसे क्षेत्र में फल उद्यान लगाया जाता है तो इस सारे क्षेत्र में बागीचा राज्य उद्यान विभाग द्वारा निश्चित प्रतिमानों के अनुसार ही लगाया जायेगा ।

(2) पैरा-1 के उपबन्धों के अन्तर्गत, ऐसे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के वन उत्पाद का निष्कासन, एकत्रीकरण या उसे हटाया या उससे किसी प्रकार की निर्माण प्रक्रिया प्रतिविद्ध होगी :

आगे यह भी उपबन्धित है कि बिरोजा निस्सारण कार्य, सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी की लिखित आज्ञा से मुख्य अरण्यपाल द्वारा समय-समय पर बिरोजा निस्सारण की अवधि, अपछेदों की संख्या, अपछेदों की लम्बाई, चौड़ाई तथा गहराई और उससे सम्बन्धित अन्य विषयों के लिए जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किया जायेगा :

आगे यह भी उपबन्धित है कि बांस गिरान कार्य 3 वर्षीय गिरान कार्यक्रम के अन्तर्गत विनियमित किया जायेगा जो वन विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जायेगा और यह कि विक्रय हेतु बांसों के गिरान की आज्ञा भी सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी द्वारा 3 वर्षीय गिरान कार्यक्रम के अनुसार दी जायेगी ।

(3) ऐसे क्षेत्रों से बाहर जाने वाला वन उत्पाद वनाधिकारी के निरीक्षण के अध्याधीन होगा और कोई भी वन उत्पाद किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्कासन के लिए प्राप्त लिखित आज्ञा होने पर भी, बिना निर्यात अनुज्ञप्ति के नहीं ले जाया जायेगा।

(4) वन उत्पाद के निष्कासन की आज्ञा देने हेतु अधिकृत प्राधिकारी निष्कासन के लिए आज्ञा देते समय ऐसी शर्तें अधिरोपित करेगा जो वन संरक्षण के हित में और इस प्रकार निष्कासित वन उत्पाद के दुरुपयोग के परिहार हेतु आवश्यक होंगी।

(5) ऊपरलिखित पैराग्राफों में समाविष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्य सरकार, साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी वृक्ष अथवा वृक्षों की श्रेणी का कटान या निष्कासन ऐसी शर्त के अध्याधीन जिसे जनहित में जहां कहीं ऐसा करना उचित हो, अधिरोपित करना उचित समझे, को अनुमत करेगी जैसे कि नौतोड़ भूमि का अनुदान, जोतों की चकबन्दी अथवा सूखे गिरे वृक्षों अथवा 31-3-79 से अनिर्णित पड़े हुए मामले ।

3. यह इस विभाग की पूर्व अधिसूचना सम संख्या दिनांक 9-3-1980 को निष्प्रभाव करती है ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।